NSE

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
'एक्सचेंज प्लाझा', बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) रेगुलेशन्स, 2021 के रेगुलेशन 32 (3) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से डीलिस्ट करने के लिए सार्वजनिक सूचना ।

सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ़ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन्स, 2021 ('डीलिस्टिंग रेगुलेशन्स') के रेगुलेशन 32 (3) और सिक्युरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 की धारा 21ए के तहत बनाए गए नियमों और नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("द एक्सचेंज") के विनियमनों, नियमों और उप-नियमों के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि एक्सचेंज का प्रस्ताव नीचे दी गई दो कंपनियों को डीलिस्ट करने का है क्योंकि उक्त कंपनियों ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी सिक्युरिटीज़ की डीलिस्टिंग के लिए आधार बनाया है, अर्थात, उक्त कंपनियों की सिक्युरिटीज़ में व्यापार, लिक्विडेशन के कारण छह महीनें से अधिक समय से निलंबित है।

एक्सचेंज ने कंपनियों को उनके अंतिम ज्ञात पते और एक्सचेंज रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकृत ईमेल पते पर **कारण बताओ नोटिस** जारी किया है, जिसमें उक्त कंपनियों को कारण बताने के लिए कहा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से क्यों डीलिस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सचेंज रिकॉर्ड के अनुसार इन कंपनियों की सूची उनके अंतिम ज्ञात पते के साथ नीचे दी गई है:

क्रमांक	कंपनी	*कंपनीया नोंदणीकृत पता
1	नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रिज लिमिटेड#	501, डेल्टा टेक्नोलॉजी स्ट्रीट, हिरानंदानी गार्डन , पवई, मुंबई - 400076
2	कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड#	टर्नर मॉरिसन बिल्डिंग, पहली मंज़िल,16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001

* एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पते।

ये कंपनियां लिक्विडेशन के अधीन हैं, इसलिए इन कंपनियों पर डीलिस्टिंग रेगुलेशन्स के रेगुलेशन 34 के परिणाम लागू नहीं होंगे।

अनिवार्य डीलिस्टिंग के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपरोक्त कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध(लिस्टेड) होना बंद हो जाएगा। इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- डीलिस्ट करने वाले रेगुलेशन्स के रेगुलेशन 34 के अनुसार,

1. डिलिस्टेड कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशकों, सिक्युरिटीज़ कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति(व्यक्तियों), उसके प्रमोटर और उनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्युरिटीज़ बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी या इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की मांग नहीं करेंगी या ऐसे डीलिस्टिंग की तारीख से दस साल की अवधि तक इक्विटी शेयर या सिक्युरिटीज़ बाजार में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी ।

2. एक कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है -

   a. ऐसी कंपनी और डिपाज़िटोरी, प्रमोटर्स / प्रमोटर समूह द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयरों की बिक्री, गिरवी आदि का स्थानांतरण प्रभावी नहीं करेंगे और प्रमोटर्स / प्रमोटर समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के लिए कॉर्पोरेट लाभों जैसे लाभांश, अधिकारों, बोनस शेयरों, विभाजन, आदि को तब तक फ्रीज किया जाएगा, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटर इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प प्रदान नहीं करते जैसा कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित है;

   b. अनिवार्य रूप से डिलिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स, पूर्णकालिक निदेशक और सिक्युरिटीज़ कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी भी सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी के डिलिस्टेड होने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे खंड (ए) में उल्लिखित निकास विकल्प नहीं दे देते ।

▪ 'डीलिस्टिंग के विनियमों के विनियम 33 के अनुसार,

1. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डिलिस्ट किया जाता है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र वैल्यूअर को नियुक्त करेगा जो डिलिस्टेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा।

2. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ वैल्यूअर्स का एक पैनल बनाएगा और उक्त पैनल से, उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए वैल्यूअर को नियुक्त किया जाएगा।

3. डिलिस्टेड इक्विटी शेयरों का मूल्य, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियमनों, 2021 के विनियम 20 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. कंपनी के प्रमोटर (प्रमोटरों) को सार्वजनिक शेयरधारकों से डिलिस्टेड इक्विटी शेयरों को वैल्यूअर द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग होने की तारीख के तीन महीने के अंदर प्राप्त कर लेना चाहिए। यह सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा अपने शेयरों को अपने पास बनाए रखने के विकल्प के अधीन है।

5. यदि विनियम 33 के उप-विनियम (3) के अनुसार सभी शेयरधारकों को देय मूल्य का भुगतान विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार दी गई समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है, तो प्रमोटर उन सभी शेयरधारकों को प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिन्होंने अनिवार्य डीलिस्टिंग प्रस्ताव के तहत अपने शेयरों की पेशकश की थी ।

ये कंपनियां लिक्विडेशन के अधीन हैं और इसलिए:

a. सेबी के प्रावधानों, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर/सीआईआर/पी/2016/81 दिनांक 07 सितंबर 2016 इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

b. लिक्विडेशन के तहत कंपनियों के लिए सेबी से निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए हैं:

   i. अगर किसी कंपनी को प्रोविशनल लिक्विडेटर की नियुक्ति या समापन के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से डीलिस्ट किया गया है तो डीलिस्टिंग विनियमनों के विनियम 34 के तहत प्रतिबंध लागू होगा।

   ii. अगर किसी कंपनी को प्रोविशनल लिक्विडेटर /अंतिम परिसमापक की नियुक्ति या समापन के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से डीलिस्ट नहीं किया गया है तो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया कानून के संचालन से होगी और डीलिस्टिंग विनियमनों के विनियम 34 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

25 नवंबर, 2022 को या उससे पहले कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित डीलिस्टिंग से शायद व्यथित हो, वो एक्सचेंज की डीलिस्टिंग कमेटी के सामने लिखित रूप में प्रतिनिधित्व अगर कोई हो तो प्रस्तुत कर सकता है।

प्रस्तुतीकरण करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के पूर्ण संपर्क विवरण के साथ अभ्यावेदन (ओं) को संबोधित किया जाना चाहिए:
डीलिस्टिंग कमिटी, एन्फोसमेंट डिपार्टमेंट, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
संपर्क नंबर: +91 22 26598100 (23462),
ई-मेल:dl-insp-enf-delisting@nse.co.in

स्थान: मुंबई **दिनांक: 03 नवंबर, 2022**

Nifty50